

कार्यालय अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), ग्रेटर नौएडा, गौतमबुद्धनगर।

(भूमि अध्याप्ति कार्यालय)

गुलमोहर कमर्शियल मार्केट, बीटा-1, ग्रेटर नौएडा, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक /आठ-अ0जि0अ0(भू0अ0)/यमुना एक्सप्रेस-वे/गौतमबुद्धनगर

दिनांक/06/2018

सम्पादक,
दैनिक जागरण,
हिन्दुस्तान।

विषय:- जेवर एयरपोर्ट हेतु प्रभावित भू-स्वामियों से सहमति अभिप्राप्त किये जाने की सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के सम्बन्ध में।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-2(2) एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (उ0प्र0) नियमावली-2016 के अध्याय-3 के नियम-14 के अन्तर्गत प्रारूप- 5 में प्रभावित भू-स्वामियों से सहमति अभिप्राप्त किया जाना प्राविधानित है।

अतः प्रभावित भू-स्वामियों से सहमति प्राप्त करने हेतु सार्वजनिक सूचना के माध्यम से नियत तिथि, समय तथा स्थान से प्रभावित भू-स्वामियों को अवगत कराया जाना है। सार्वजनिक सूचना का प्रारूप आपको पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन प्रभावित क्षेत्र (जेवर) के दैनिक संस्करण में सरकारी दर पर कराते हुए प्रकाशित समाचार पत्रों की पांच-पांच प्रतियां अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- यथोक्त।

67/डि-29-06-18

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :-

1. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से कि सार्वजनिक सूचना को जनपद की वेबसाईट पर जेवर नामक पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
2. उप जिलाधिकारी, जेवर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार जेवर, को इस निर्देश के साथ कि सुनवाई हेतु नियत तिथि एवं स्थान पर उचित व्यवस्था कराने, विडियोग्राफी की व्यवस्था करने आदि एवं सार्वजनिक सूचना की प्रत्येक ग्राम में मुनादी कराने और मुनादी की विडियों रिकार्डिंग भी कराना सुनिश्चित करें।
4. श्री अनवर, कार्यालय चपरासी, भूमि अध्याप्ति इकाई यमुना को इस निर्देश के साथ कि सार्वजनिक सूचना की प्रतियां प्रत्येक ग्राम की नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद/जिला कलेक्टर/उपजिलाधिकारी/तहसील जेवर के नोटिस बोर्ड, भूमि अध्याप्ति कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कलेक्टर नजारत नोटिस बोर्ड तथा प्रभावित क्षेत्र में किसी सदृश्य स्थान पर चस्पा कर फोटोग्राफ लेते हुए तामिला रिपोर्ट एवं फोटोग्राफ कार्यालय में प्रस्तुत करें।

(राकेश चन्द्र शर्मा)
अपर जिलाधिकारी (भू0अ0)
गौतमबुद्धनगर।

अपर जिलाधिकारी (भू0अ0)
गौतमबुद्धनगर।